माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

29

सूर्य प्रताप । मृतक ।

1. श्यामनारायण सिंह । सभी के पिता श्री सूर्य प्रताप सिंह
2. छोटेलाल सिंह । सभी निवासी ग्राम - करह , तह०
3. महेन्द्र सिंह । मऊगंज , जिला- रीवा । म०प्र०।
4. सुरेन्द्र सिंह । अपीलार्थीगण

बनाम

1. राम कृपाल तनय मधुसूदन । दोनों नि० ग्राम पुरैहटा , तह०
2. जगजीवन लाल तनय प्रमुनाप्रसाद । मऊगंज , जिला- रीवा म.प्र.
3. 8० पण्डित पति नवरतन सिंह । दोनों नि० ग्राम शहजादपुर तह०
4. निचकू पति राम करण सिंह । ऊंचाहार जिला -रायबरेली उ०प्र०

5श्रीमति देवेन्द्र सिंह नि० ग्राम - कुन्दासपुर तह०-ऊंचाहार जिला-रायबरेली उ०

उत्तरवादीगण

R. 1246 - III/09

श्री के० के० द्विवेदी - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 10-9-09 को प्रस्तुत ।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा दिनांक 24/7/09 अन्तर्गत धारा - 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24/7/09 विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है ।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जब बिक्री 58-5[illegible] के पूर्व की है तो नामांतरण क्यों नहीं कराया गया है । यह प्रश्न अनुत्तरित है यह निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि नामांतरण न करा पाने से किसी का स्वत्व नष्ट नहीं होता है । विक्रय पत्र की पुष्टि 56- 57 से 60-6[illegible]

10-9-09
K. K. Dwivedi

क्रमशः....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1240–तीन/09 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री ओ0पी0 मिश्रा उपस्थित । अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 81/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि उक्त विवादित भूमि पर आवेदकगण के पिता स्व0 श्री सूर्य प्रताप का नामांतरण सन् 1982 में अनावेदकगण की जानकारी और सहमति से हुआ है तथा मौके पर कब्जा तब भी था और आज भी है । आवेदक सूर्यप्रताप की मृत्यु के पश्चात आवेदक के वारिसानों को रिकार्ड पर लिया गया एवं वारिसानों का नामांतरण भी विधिवत किया गया, जिस पर अनावेदकगण की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं कि गई। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने	

का निवेदन किया गया ।

4/ प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि नामांतरण पंजी से नामांतरण वर्ष 1982 में किया गया विक्रित भूमि आराजी नं0 1093 रकबा 1.73 ए. का तथाकथित बेंचीनामा स्वाभाविक रूप से 100/– रुपये से अधिक का रहा होगा, जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी ने भी माना है, परन्तु इसका कोई पंजीकृत बयनामा किसी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गय । आवेदकगण द्वारा अपने निगरानी मेंमों में यह कहा गया कि बिक्री 1958–59 के पूर्व की थी यदि ऐसा था तो नामांतरण 23 वर्ष तक क्यों नहीं कराया गया । यह प्रश्ना अनुत्तरित है । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन आराजी पर अपना कब्जा होना बताया किन्तु कब्जे के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता । नामांतरण पंजी क्र0 65 दिनांक 18.09.82 को देखने से भी स्पष्ट है कि भूमिस्वामी मधुसूदन को सूचना देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पटवारी द्वारा केवल यह लिखा है कि "प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इस्तहार जारी किया गया कोई विवाद नहीं है । प्रार्थी मौके पर काबिज दाखिल है। अस्तु रिर्पोट सेवा में प्रेषित है।" राजस्व निरीक्षक ने अपने आदेश में केवल इतना लिखा है कि " 1098 मिन 1.73 डि0 सूर्यप्रताप सिंह तनय तेजबली सिंह के नाम दाखिल प्रामणित, पटवारी अभिलेख दुरूस्त करें।" इसमें न तो सूचना जारी करने का कोई जिक्र किया गया है और न ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर एवं अंगूठा के

निशान लगे हुये है । ऐसे में नामांतरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जाना प्रमाणित है। जहॉ तक समय सीमा के बिन्दु का प्रश्न है अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है । प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकगण को राजस्व निरीक्षक के द्वारा पारित आदेश की जानाकरी नहीं थी। वैसे भी अनियमित आदेश में समय सीमा के बिन्दु पर किसी पक्षकार के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता । इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने जो आदेश पारित किया है मैं उससे सहमत हूँ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 24.07.09 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य